न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 39 / 2018
RCMS Sace No. 2018/00320

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 रतनलाल पुत्र लालाराम		1 ललीत कुमार पुत्र रतनलाल
2 गणपतलाल पुत्र रतनलाल जाति घांची निवासी स्कूल रोड़, रानी कलां तहसील रानी जिला पाली		जाति घांची निवासी रानी कलां 2 सरपंच ग्राम पंचायत रानी कलां तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत रानी कलां द्वारा मिसल संख्या 04 / 2014—2015 में पारित प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 05.09.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रतनलाल का स्व—अर्जित मकान ग्राम रानीकलां की आबादी भूमि में आया हुआ स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए स्वामित्व की जांच किए बगैर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया जा चुका है। वादस्थ मकान में प्रार्थी के जीवित रहते अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार के हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या ने ग्राम पंचायत रानी कला में पंचायत राज नियम 145 के तहत विधि अनुसार आवेदन पत्र ही पेश नहीं किया एवं आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क व नक्श शुल्क पेश नहीं किया, साथ ही ग्राम सेवक ने विधि अनुसार नक्शा बनाकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत नहीं किया, उक्त मिसल संख्या 4 / 14—15 में विधि अनुसार पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत ही नहीं किया गया एवं न ही पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया। प्रार्थी का स्व—अर्जित मकान होने के बावजूद भी उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं बिना साक्ष्य सबूत के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रार्थी के स्व—अर्जित मकान का पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुए जैर

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

अपील आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत रानीकलां के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.05.2014 को मिसल कायम करते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया। इसके पश्चात दिनांक 27.06.2014 को तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें मकान को पुश्तैनी होना बताया तथा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 9 के अनुक्रम में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो स्वतन्त्र साक्ष्यों के बयान कलमबद्ध किए जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कराने का आदेश पारित किया। हालांकि हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया ही पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर आरम्भ हुई है तथा एक पिता के जीवित रहते पुश्तैनी भूमि का पिता एवं अन्य भाईयों की सहमति के मात्र एक पुत्र/भाई के नाम पट्टा जारी किया जाना प्रकरण को विशिष्ठ परिस्थितियों का परिलक्षित करता है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया ही दूषित पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानी कलां द्वारा मिसल संख्या 04/2014–2015 में पारित प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 05.09.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 28.10.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली